मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त 2014-श्रावण 31, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, SAIFUDDIN has changed my name to " SAFI MODIWALA" from now I will be know by the name of "SAFI MODIWALA".

Old Name :
(SAIFUDDIN)

New Name :
(SAFI MODIWALA)
Address—101, Azad Nagar,
Dewas Road, Ujjain (M.P.).

(261-B.)

CHANGE OF NAME

I, DEVENDRA JAIN changed my name to DEVENDRA JAIN SINGHAL and now I would be known as DEVENDRA JAIN SINGHAL.

Old Name :
(DEVENDRA JAIN)

New Name :
(DEVENDRA JAIN SINGHAL)
293, Sudama Nagar,
Annapurna Road, Indore (M.P.).

(262-B.)

CHANGE OF NAME

I, UMA SINGHAL changed my name to UMA DEVENDRA SINGHAL and now I would be known as UMA DEVENDRA SINGHAL.

Old Name :
(UMA SINGHAL)

New Name :
(UMA DEVENDRA SINGHAL)
293, Sudama Nagar,
Annapurna Road, Indore (M.P.).

(263-B.)

उप नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र जो कि दिव्याशं सिंघल के नाम से जाना जाता है. अब उसे दिव्याशं अग्रवाल के नाम से जाना जाए.

सत्येन्द्र अग्रवाल,
(पिता),
शांति नगर, नई सड़क, ग्वालियर (म.प्र.).

(265-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को यह विदित हो कि पूर्व में मेरा नाम अप्रतिम मेश्राम पिता रविशंकर मेश्राम था. मैंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया है, अब मेरा नया नाम अप्रतिम कामोने पिता स्व. अशोक कामोने हो गया है. भविष्य में अब मुझे इसी नाम से जाना जावेगा एवं समस्त व्यवहार मेरे इसी नये नाम से होंगे.

पुराना नाम :
(अप्रतिम मेश्राम)
पिता-रविशंकर मेश्राम

नया नाम :
(अप्रतिम कामोने)
पिता-स्व. अशोक कामोने,
निवासी-ग्राम बेलगांव सौंसर,
तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.

(266-बी.)

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम शैलेन्द्र गोविन्दानी के स्थान पर नया नाम श्यामलाल गोविन्दानी रीति रिवाजों अनुसार ग्रहण कर लिया है सो मुझे मेरे परिचित, रिश्तेदार, समाजजन नये परिवर्तित नाम श्यामलाल गोविन्दानी के नाम से जाने, पहचाने व पुकारें.

पुराना नाम :
(शैलेन्द्र गोविन्दानी)

नया नाम :
(श्यामलाल गोविन्दानी)
पिता-श्री खानचन्द गोविन्दानी,
निवासी-02, सिंधी कॉलोनी,
साधु वासवानी गली, नीमच (मध्यप्रदेश).

(267-बी.)

CHANGE OF NAME

I, was known as Dr. Rahul Kewal Kumar Gundhare, I have changed my name and Henceforth I shall be known as Dr. Rahul Kewal Kumar S/o Kewal Kumar Gundhare, Resident of H. No. 322, Gupteshwar road, near kripal chowk, Madan Mahal, Jabalpur (M.P.).

Old Name :
(RAHUL KEWAL KUMAR GUNDHARE)

New Name :
(RAHUL KEWAL KUMAR)

(270-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मे. अरविंद इण्टरप्राइजेस फर्म, जिसका पता-266, साकेत नगर इन्दौर मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00053/14, एक भागीदारी फर्म है, जिसके भागीदार- 1. श्री दलपत सिंह धींग, 2. श्री कल्यानमल पितलिया, 3. श्री कुन्दनमल पामेचा, 4. श्री गौतम कुमार पितलिया, 5. श्री पुखराज पामेचा, 6. श्री अनिल कुमार जैन थे. जिसमें से 1. श्री दलपत सिंह धींग, 2. श्री कल्यानमल पितलिया, 3. श्री कुन्दनमल पामेचा, 4. श्री गौतम कुमार पितलिया, 5. श्री पुखराज पामेचा, दिनांक 01 जनवरी, 2002 को उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं. अब इनका उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं है.अब उनके स्थान पर 1. श्रीमती नवीशा जैन, 2. श्री अरविन्द जैन, 3. मनमोहन कस्तुरीलाल गंभीर एच. यू. एफ., 4. श्री तरणजीत होरा, 5. श्री रमेश कुमार गंभीर, 6. श्री मनमोहन गंभीर, 7. श्रीमती रंजीत कौर, 8. श्री तरणजीत सिंह धरम सिंह होरा एच. यू. एफ, को उक्त फर्म में दिनांक 01 जनवरी, 2002 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिया है.

अब इस फर्म का संचालन दिनांक 01 जनवरी, 2002 से श्री अनिल कुमार जैन और 8 नये भागीदार मिलकर कर रहे हैं साथ ही सभी भागीदारों ने आपसी सहमती से उक्त भागीदारी फर्म का पुराना पता ही बदलकर नया पता, 31-32, टी. टी. नगर देवास नाका ए. बी. रोड, इन्दौर कर लिया है.

तर्फे,
मेसर्स अरविंद इण्टरप्राइजेस,
अरविन्द जैन,
(भागीदार).

(269-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मे. अरविंद इण्टरप्राइजेस फर्म, जिसका पता—31-32, टी. टी. नगर देवास नाका ए. बी. रोड, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00053/14, एक भागीदारी फर्म है, जिसके भागीदार- 1. श्रीमती नवीशा जैन, 2. श्री अरविन्द जैन, 3. मनमोहन कस्तुरीलाल गंभीर एच. यू. एफ., 4. श्री तरणजीत होरा, 5. श्री रमेश कुमार गंभीर, 6. श्री मनमोहन गंभीर, 7. श्रीमती रंजीत कौर, 8. श्री तरणजीत सिंह धरम सिंह होरा एच. यू. एफ, 9. श्री अनिल कुमार जैन थे. जिसमें से 1. मनमोहन कस्तुरीलाल गंभीर एच. यू. एफ., 2. श्री रमेश कुमार गंभीर, 3. श्री तरणजीत सिंह धरम सिंह होरा एच. यू. एफ., 4. श्री अनिल कुमार जैन दिनांक 01 फरवरी, 2014 को उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं. अब इनका उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं है. अब उनके स्थान पर 1. श्री खुशीराम आहुजा, 2. श्री सुनील हरयानी, 3. श्रीमती उर्मिला गंभीर को उक्त फर्म में दिनांक 01 फरवरी, 2014 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिया है. अब इस फर्म का संचालन दिनांक 01 फरवरी, 2014 से 1. श्रीमती नवीशा जैन, 2. श्री अरविन्द जैन, 3. श्री तरणजीत होरा, 4. श्री मनमोहन गंभीर, 5 श्रीमती रंजीत कौर, 6. श्री खुशीराम आहुजा, 7. श्री सुनील हरयानी, 8. श्रीमती उर्मिला गंभीर मिलकर कर रहे हैं साथ ही सभी भागीदारों ने आपसी सहमती से उक्त भागीदारी फर्म का पुराना पता भी बदलकर, नया पता-507, द मार्क ओल्ड पलासिया साकेत चौराहा, इन्दौर कर लिया है.

तर्फे,
मेसर्स अरविंद इण्टरप्राइजेस,
अरविन्द जैन,
(भागीदार).

(269-A-बी.)

(भागीदारी फर्म में परिवर्तन हेतु सूचना)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पक्षकार की फर्म मे. धीरज इंजीनियर्स एण्ड कान्टेक्टर्स, रजिस्टर्ड, कार्यालय 73, नव आदर्श कॉलोनी, जबलपुर में दिनांक 01 अप्रैल, 1990 को फर्म में तीन भागीदारों के अलावा दो नये भागीदार (1) श्रीमति देवी बाई खूबचंदानी पत्नि स्व. श्री नारायण दास खूबचंदानी, 8-ए, पंजाबी बाग कॉलोनी, गोविन्दपुरा, भोपाल एवं (2) श्रीमति सरोज खूबचंदानी पत्नि श्री तुलसी दास खूबचंदानी, 8-ए, पंजाबी बाग कॉलोनी, गोविंदपुरा, भोपाल सम्मिलित किये गये हैं.

भवदीय,
एम. सी. यादव,
(एडवोकेट).

(264-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी साझेदारी फर्म मेसर्स अमरदीप बिल्डर्स, ई. सी.-2, स्कीम नं. 94, अमर पॉइन्ट बिल्डिंग, इन्दौर (मध्यप्रदेश), के पते पर संचालित की जा रही है. उक्त फर्म में दिनांक 31 मार्च, 2014 से श्रीमती रामप्यारी पति श्री आशारामजी अग्रवाल के सेवा निवृत (Retire) होने की वजह से शेष साझेदारों द्वारा साझेदारी व्यापार को चालू रखने का निर्णय लिया है.

पवन कुमार अग्रवाल,
(पार्टनर)
मेसर्स अमरदीप बिल्डर्स,
ई. सी.-2, स्कीम नं. 94, अमर पॉइन्ट,
बिल्डिंग इन्दौर (म.प्र.).

(268-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जैन इन्टरप्राईजेज स्थित गौतम विहार कॉलोनी, शिवपुरी में दिनांक 25 अग्रस्त, 2009 से भागीदार श्रीमती अलका जैन पत्नि श्री मुकेश जैन, निवासी लक्षकारी का बगीचा, शिवपुरी फर्म में सम्मिलित हो गई हैं एवं दिनांक 26 मई, 2014 को फर्म के साझेदार श्री वेद प्रकाश शर्मा पुत्र श्री गनपत लाल शर्मा, निवासी गौतम विहार कॉलोनी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी

दिनांक से नवीन साझेदार के रूप में प्रसन्न जैन पुत्र श्री जीनेन्द्र शरण जैन, निवासी सर्राफ मौहल्ला, कोलारस, जिला शिवपुरी फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पंकज जैन,
फर्म-जैन इन्टरप्राईजेज,
गौतम विहार कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.).
द्वारा—श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, (एडवोकेट),
जिन्सी नाला नं. 1, लश्कर ग्वालियर.

(271-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि एक भागीदारी फर्म जो कि पूर्व में मेसर्स करम रबर इण्डस्ट्रीज, पता-3, जी. एन. टी. मार्केट, खालसा टोल नाका के पास, इन्दौर के नाम से जानी पहचानी जाती थी. जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 03/27/01/00093/11, दिनांक 03 अगस्त, 2011 के द्वारा पंजीयन किया गया है. किन्तु दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 से उपरोक्त फर्म का नाम परिवर्तन कर मेसर्स खालसा रबर इण्डस्ट्रीज, पता-64, स्कीम नम्बर-101, गोपाल बाग के पास, माणिकबाग रोड, इन्दौर हो गया है. अतः दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 से उपरोक्त फर्म मेसर्स खालसा रबर इण्डस्ट्रीज के नाम से जानी, पहचानी जावे.

मेसर्स खालसा रबर इण्डस्ट्रीज,
इन्दरजीत कौर,
पता-64, स्कीम नम्बर-101, गोपाल बाग के पास,
माणिकबाग रोड, इन्दौर.

(272-बी.)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम,1932 की धारा-72 के तहत)

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-63 (1) के अधीन इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि:-

साझेदारी फर्म का नाम मेसर्स आहूजा आटो पार्ट्स, 9/2, किबे कम्पाउन्ड छोटी ग्वाल टोली चौराहा, इन्दौर की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है.

सम्मिलित होने वाले साझेदार का नाम और पता और उसके फर्म में सम्मिलित होने की दिनांक	निकलने वाले साझेदार का नाम और पूरा पता और उसके साझेदार न रहने की दिनांक
श्री रवि आहूजा, 63, पलसीकर कॉलोनी, इन्दौर को दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को फर्म में सम्मिलित किया गया.	

साझेदार-**निर्मलदास आहूजा**

For :- Ahuja Auto Parts,
NARAYAN DAS AHUJA,
(Partner).
अंजना नाहर (एडवोकेट)
गंगा नगर, एरोड्रम रोड, इन्दौर.

(273-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 4 अगस्त, 2014

संशोधित अधिसूचना

क्र. 1878/री.ए.डी.एम./2014.—पूर्व में पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इन्दौर शहर के अन्दर

नवलखा से अग्रसेन होकर लोहा मण्डी में जाने वाले भार वाहनों को कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 783/री.ए.डी.एम./2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 द्वारा प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक के मध्य केवल लोहा मण्डी से सम्बन्धित वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था.

जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं यातायात समिति की बैठक में लिये गये निर्णय से सहमत होते हुए मोटरयान नियम-1994 के नियम-215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 783/री.ए.डी.एम./2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, आकाश त्रिपाठी, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर निम्नानुसार व्यस्तम मार्ग पर उनके सामने दर्शाये गये समय एवं अवधि में ट्रक/भारवाही वाहनों के इन्दौर शहर में आवागमन को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतिबन्धित करता हूँ :-

क्र.	मार्ग	प्रतिबन्धित समय एवं अवधि	रिमार्क
1.	नवलखा से अग्रसेन होकर लोहा मण्डी में आने-जाने वाले ट्रक/भारवाही वाहनें.	पूर्णकालिक	केवल लोहा मण्डी से सम्बन्धित लोहे वाले वाहनों के लिये यह प्रतिबंध रहेगा.

1. यह प्रतिबंध केवल भार वाहनों के लिये है, शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दुपहिया वाहन यथावत् पूर्ववत् चालू रहेंगे.
2. उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन-सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को पूर्णतः/अंशतः यथा अपेक्षित संशोधित किया जा सकेगा. यह आदेश एक मास की अवधि तक प्रभावशील रहेगा, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति आदि प्राप्त न होने पर यह अधिसूचना स्वतः अमल में आवेगी.

आकाश त्रिपाठी,
जिला दण्डाधिकारी.

(684)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 17 जून, 2014

प्र. क्र. 01/बी-113 (4)/2012-13. **प्रारूप-4**

(नियम-5 देखिये)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास, नीमच के समक्ष.

क्र. 1821/रीडर-1/2014.—चूंकि आवेदक चन्द्रराज पिता शोभागमल कोठीफोड़ा, निवासी-नीमच आदि-1 की ओर से श्री जिनकुशल सूरी खरतरगच्छ जैन दादावाड़ी ट्रस्ट, नीमच के न्यास पंजीयन का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23 अगस्त, 2012 को विचार के लिये लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना (विज्ञप्ति) द्वारा सूचना दी जाती है.

अतः मैं, राजेन्द्रकुमार सिंह, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच अपने न्यायालय में दिनांक 17 जुलाई, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतएव एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

न्यास का नाम	:	श्री जिनकुशल सूरी खरतरगच्छ जैन दादावाड़ी ट्रस्ट, नीमच.
अचल सम्पत्ति का विवरण	:	निरंक.
चल सम्पत्ति का विवरण	:	रुपये 5,000/- बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-नीमच में न्यास के बाबत खाता क्रमांक-26530100007116 में जमा हैं.

राजेन्द्रकुमार सिंह,
पंजीयक.

(680)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

राधा रानी आई केयर हॉस्पिटल ट्रस्ट, कार्यालय ए-1, बृजेश्वरी एक्सटेंशन, पिपल्याहाना, इंदौर मध्यप्रदेश की ओर से सुश्री कृष्णा गुप्ता, निवासी इंदौर, सुश्री निधी प्रकाश, नि. नई दिल्ली, डॉ. नलिनी लांगरे, नि. उज्जैन और श्री भवरीलाल जाजोदिया, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	राधा रानी आई केयर हॉस्पिटल, ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	ए-1, बृजेश्वरी एक्सटेंशन, पिपल्याहाना, इंदौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 11,000/- (रुपये ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 18 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(683)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

संस्कृत भारती मालवा न्यास, कार्यालय-76, रामबाग द्वितीय तल, इंदौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री गोपाल पिता श्रीरामचन्द्र शर्मा, पता-76-ए, संगम नगर, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	संस्कृत भारती मालवा न्यास.
कार्यालय पता	:	76, रामबाग द्वितीय तल, इंदौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 1,001/- (रुपये एक हजार एक मात्र).

आज दिनांक 18 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(683-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्री रामभक्त मनकामेश्वर हनुमान भक्त ट्रस्ट, मोरसली गली, इंदौर, कार्यालय 332, मोरसली गली, इंदौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री राजेश सिंह पिता भगवानसिंह, निवासी-46, मोरसली गली, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री रामभक्त मनकामेश्वर हनुमान भक्त ट्रस्ट, मोरसली गली, इंदौर.
कार्यालय पता	:	332, मोरसली गली, इंदौर, मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र).

आज दिनांक 18 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(683-B)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्री दिगम्बर जैन पारमार्थिक सुकृत फण्ड उदासीन श्राविकाश्रम ट्रस्ट, कार्यालय-17/1, साउथ तुकोगंज, इंदौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री संगही मानिकचंद अजमेरा, पता-10/4, साउथ तुकोगंज, स्ट्रीट नं.1, इंदौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री दिगम्बर जैन पारमार्थिक सुकृत फण्ड उदासीन श्राविकाश्रम ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	17/1, साउथ तुकोगंज, इंदौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 7,69,072/- (रुपये सात लाख उनसत्तर हजार बहोत्तर मात्र).

आज दिनांक 18 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(683-C)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्री सद्गुरू कबीर प्रकाश चेतन्य धाम ट्रस्ट, कार्यालय 228, भगतसिंह नगर (कबरी मंदिर), इंदौर मध्यप्रदेश की ओर से महंत बालकदास गुरू नारायणसिंह, पता 228, भगतसिंह नगर (कबरी मंदिर), इंदौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री सद्गुरू कबीर प्रकाश चेतन्य धाम ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	228, भगतसिंह नगर (कबरी मंदिर), इंदौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5,000/- (रुपये पांच हजार मात्र).

आज दिनांक 18 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(683-D)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष श्रीमति शीला पाल पत्नी हरिचरन पाल,

निवासी-मुहला,

आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौगांव, जिला छतरपुर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अकार्यशील बीज उत्पादक सहकारी समितियों को

कार्यशील बनाने हेतु दिनांक 27 जनवरी, 2014 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था. जिसकी सूचना आपको दूरभाष पर एवं कार्यालय में उपलब्ध पंजीयन पते पर दी गई थी. लेकिन आप अनुपस्थित रहे, इससे यह प्रतीत होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.
3. पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
4. संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.
5. संस्था द्वारा नियमित रूप से संचालक मण्डल की बैठकें नहीं की गयी हैं.
6. संस्था द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
7. संस्था द्वारा बीज उत्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया न ही बीज उत्पादन किया गया है.
8. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी-रजिस्ट्रार.

(681)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या कनाल,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 472, दिनांक 28 अप्रैल, 1982)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि, आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैरछा,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1085, दिनांक 05 अक्टूबर, 2001)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-A)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कड़ोदकला

तहसील बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1177, दिनांक 01 मई, 2004)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अंकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-B)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामला,

तहसील कुक्षी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1147, दिनांक 28 फरवरी, 2003)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-C)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दाबड़,
तहसील मनावर, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1130, दिनांक 19 दिसम्बर, 2002)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-D)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुराड़ाखाल,

तहसील मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1094, दिनांक 24 नवम्बर, 2001)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-E)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राथण,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1219, दिनांक 17 नवम्बर, 2006)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-F)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उटाबद,

तहसील मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1226, दिनांक 29 मार्च, 2007)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-G)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिंगवा,

तहसील कुक्षी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1122, दिनांक 30 सितम्बर, 2002)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-H)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोठड़ा,

तहसील मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1142, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-I)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाकालपुरा,

तहसील कुक्षी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1148, दिनांक 28 फरवरी, 2003)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-J)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणदा,

तहसील मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1138, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-K)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चालनी,

तहसील सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 612, दिनांक 22 अक्टूबर, 1984)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-L)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कंरजबा,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1243, दिनांक 26 मई, 2008)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-M)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खजुरिया,

तहसील बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 814, दिनांक 25 मई, 1992)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-N)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साततलाई,

तहसील मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1082, दिनांक 28 सितम्बर, 2001)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-O)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याकामीन,

तहसील धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1257, दिनांक 23 सितम्बर, 2009)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-P)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोड़िया,

तहसील सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 442, दिनांक 01 जनवरी, 1982)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-Q)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरियाबड़ा,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1105, दिनांक 25 जून, 2002)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-R)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लीलीखेड़ी,

तहसील बदनाबर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 461, दिनांक 19 मार्च, 1982)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(682-S)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोंगरगांव,

तहसील मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 540, दिनांक 23 अप्रैल, 1983)

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 22 जुलाई, 2014 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा. चिन्हित (✔) बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(682-T)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 05 अगस्त, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/709.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./गृ.नि./422, रतलाम, दिनांक 19 मार्च, 2013 के द्वारा राजीव गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, पंजीयन क्रमांक/343, दिनांक 23 अगस्त, 1984 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री बी. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायंटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(685)

रतलाम, दिनांक 05 अगस्त, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/710.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1059, रतलाम, दिनांक 26 जुलाई, 2013 के द्वारा वाल्मिकी मत्स्य सहकारी सोसायटी मर्यादित, बिरयाखेडी, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/680, दिनांक 12 जनवरी, 1996 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाल्मिकी मत्स्य सहकारी सोसायटी मर्यादित, बिरयाखेडी, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(685-A)

रतलाम, दिनांक 05 अगस्त, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/711.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/1048, रतलाम, दिनांक 26 जुलाई, 2013 के द्वारा हरिजन मछुआ सहकारी सोसायटी मर्यादित, खजुरीसोलंकी, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/460, दिनांक 21 दिसम्बर, 1987 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिजन मछुआ सहकारी सोसायटी मर्यादित, खजुरीसोलंकी, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(685-B)

रतलाम, दिनांक 05 अगस्त, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/712.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./569, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा शहीद नरेन्द्रसिंह चन्द्रावत बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावर, जिला रतलाम, संशोधित पंजीयन क्रमांक/35, दिनांक 27 मई, 2013 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की

आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहीद नरेन्द्रसिंह चन्द्रावत बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावर, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(685-C)

रतलाम, दिनांक 05 अगस्त, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/713.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/382, रतलाम, दिनांक 10 मई, 2014 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, रैन, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/487, दिनांक 09 अगस्त, 2007 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, रैन, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(685-D)

रतलाम, दिनांक 05 अगस्त, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/715.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/656, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, हरथल, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/704, दिनांक 19 जून, 1996 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, हरथल, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(685-E)

रतलाम, दिनांक 05 अगस्त, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/716.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/377, रतलाम, दिनांक 01 मई, 2014 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, नौगांवाकलां, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/493, दिनांक 09 नवम्बर, 1988 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, नौगांवाकलां, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(685-F)

रतलाम, दिनांक 05 अगस्त, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/717.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./207, रतलाम, दिनांक 27 जनवरी, 1998 के द्वारा बुनकर सहकारी सोसायटी मर्यादित मोमिनपुरा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/143, दिनांक 02 जून, 1985 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुनकर सहकारी सोसायटी मर्यादित मोमिनपुरा, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(685-G)

रतलाम, दिनांक 05 अगस्त, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/718.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/202, रतलाम, दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा रचना ईंट निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, भूतेडा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/749, दिनांक 17 अगस्त, 1999 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री जे. सी. जौनवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा

रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रचना ईंट निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, भूतेडा, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(685-H)

कार्यालय परिसमापक सहकारी समितियां, जिला डिण्डोरी

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 "सी" के अन्तर्गत)

यह कि समस्त सम्बंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डोरी के द्वारा सहकारी संस्थाओं के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक/दिनांक द्वारा निम्न समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मेंहदवानी.	01/25-11-1999	404/17-06-2014
2.	लक्ष्मी वनोपज दोना-पत्तल निर्माण सहकारी समिति मर्या., ढोंढ़.	629/21-02-1997	396/17-06-2014
3.	मछुआ सहकारी समिति मर्या., बिछिया	727/23-04-1998	416/17-06-2014
4.	माँ सरस्वती आदिवासी टाटपट्टी बुनकर सहकारी समिति मर्या., भुड़कर.	25/23-05-2008	523/28-07-2014
5.	माँ नर्मदा आदिवासी टाटपट्टी बुनकर सहकारी समिति मर्या., बैगानटोला.	26/23-05-2008	523/28-07-2014

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अत: समस्त सम्बन्धितों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्थाओं से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है. संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा. दावा कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डोरी में मुझ परिसमापक को सम्बन्धित समितियों के दस्तावेज/प्रमाण सहित लेखी में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जा सकता है.

यह सूचना आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

जी. एस. परस्ते,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(653)

कार्यालय परिसमापक सहकारी समितियां, जिला डिण्डोरी

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 "सी" के अन्तर्गत)

यह कि समस्त सम्बंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डोरी के द्वारा सहकारी संस्थाओं के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक/दिनांक द्वारा निम्न समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बिजोरी	552/30-10-1991	10-08-2007

1	2	3	4
2.	प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बसनिया	560/30-10-1991	10-08-2007
3.	प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बटोंधा	557/30-10-1991	69/10-08-2007
4.	ईट-खपरा सहकारी समिति मर्या., सुब्खार डिण्डोरी	130/21-02-1963	176/14-03-2013
5.	माँ नर्मदा मुद्रण एवं स्टेशनरी सहकारी समिति मर्या., डिण्डोरी	04/02-03-2001	174/15-03-2013
6.	स्टील वुडन एवं फर्नीचर्स उद्योग सहकारी समिति मर्या., पीपरटोला डिण्डोरी	09/20-02-2002	174/15-03-2013
7.	म. प्र. पुलिस साख सहकारी समिति मर्या., डिण्डोरी	02/22-07-2000	370/08-06-2014
8.	स्वर्ण रजत आभूषण उद्योग सहकारी समिति मर्या. डिण्डोरी	05/26-03-2001	399/17-06-2014
9.	अन्नपूर्णा साग-सब्जी उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., रमपुरी	06/13-09-2001	17-06-2014
10.	साई साग-सब्जी उत्पादन सहकारी समिति मर्या. नेवसा	08/13-09-2001	401/17-06-2014
11.	माँ शारदा आदिवासी रिक्शा चालक सहकारी समिति मर्या. डिण्डोरी	19/19-09-2003	403/17-06-2014
12.	आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या. औंरई	428/26-03-1984	408/17-06-2014

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अतः समस्त सम्बन्धितों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्थाओं से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है. संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा. दावा कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डोरी में मुझ परिसमापक को सम्बन्धित समितियों के दस्तावेज/प्रमाण सहित लेखी में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जा सकता है.

यह सूचना आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

के. एस. मरावी,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(654)

कार्यालय परिसमापक सहकारी समितियां, जिला डिण्डोरी

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 "सी" के अन्तर्गत)

यह कि समस्त सम्बंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डोरी के द्वारा सहकारी संस्थाओं के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक/दिनांक द्वारा निम्न समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	राष्ट्रीय आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या., धुर्रा	25/23-01-1960	405/17-06-2014
2.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पड़रिया	13/01-04-2003	409/17-06-2014
3.	राजीव गांधी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नांदा	693/08-04-1996	413/17-06-2014

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अतः समस्त सम्बन्धितों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्थाओं से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है. संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा. दावा कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डोरी में मुझ परिसमापक को सम्बन्धित समितियों के दस्तावेज/प्रमाण सहित लेखी में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जा सकता है.

यह सूचना आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

पी. सी. गवले,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(655)

कार्यालय परिसमापक सहकारी समितियां, जिला डिण्डोरी

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 "सी" के अन्तर्गत)

यह कि समस्त सम्बंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डोरी के द्वारा सहकारी संस्थाओं के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक/दिनांक द्वारा निम्न समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्या., कुदवारी	555/30-10-1991	687/10-08-2007
2.	प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्या., उमरधा	556/30-10-1991	690/10-08-2007
3.	इन्द्रजीत चर्मउद्योग सहकारी समिति मर्या., खिरसारी (बजाग)	04/06-10-1997	177/15-03-2013
4.	आदर्श काष्ठकला सहकारी समिति मर्या., दुल्लोपुर	03/03-02-2001	177/15-03-2013
5.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., पाटनगढ़	704/10-02-1997	407/17-06-2014
6.	बुनकर सहकारी समिति मर्या., भानपुर	24/16-01-1960	410/17-06-2014
7.	चन्द्र बुनकर सहकारी समिति मर्या., सरवाही	378/	411/17-06-2014
8.	हरिकामठ बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिंगपुर	07/01-12-1997	399/17-06-2014
9.	ईंट-खपरा सहकारी समिति मर्या., बजाग	21/26-04-2007	398/17-06-2014
10.	नवीन बुनकर सहकारी समिति मर्या., पिंडरूखी	426/07-02-1984	265/19-06-2013
11.	कबीर बुनकर सहकारी समिति मर्या., पिंडरूखी	32/04-02-1989	265-ए/19-06-2013

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अत: समस्त सम्बन्धितों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्थाओं से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है. संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा. दावा कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डोरी में मुझ परिसमापक को सम्बन्धित समितियों के दस्तावेज/प्रमाण सहित लेखी में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जा सकता है.

यह सूचना आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

एल. आर. परते,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(656)

कार्यालय परिसमापक सहकारी समितियां, जिला डिण्डोरी

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 "सी" के अन्तर्गत)

यह कि समस्त सम्बंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डोरी के द्वारा सहकारी संस्थाओं के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक/दिनांक द्वारा निम्न समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्या., ग्वारा	550/30-10-1991	687/10-08-2007
2.	प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्या., मोहनझिर	553/30-10-1991	10-08-2007
3.	प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्या., सुरखी	559/30-10-1991	10-08-2007
4.	स्वामी प्राथमिक खनिज उत्खनन सहकारी समिति, शहपुरा	707/14-04-1957	406/17-06-2014

1	2	3	4
5.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सधोली धनगांव	10/22-05-2002	412/17-06-2014
6.	नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., डिण्डोरी	18/01-09-2003	414/17-06-2014

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अत: समस्त सम्बन्धितों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्थाओं से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपनें दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है. संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा. दावा कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डोरी में मुझ परिसमापक को सम्बन्धित समितियों के दस्तावेज/प्रमाण सहित लेखी में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जा सकता है.

यह सूचना आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

ज्योति प्रधान,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(657)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना

पन्ना, दिनांक 10 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/402.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1423, दिनांक 10 अगस्त, 2011 के द्वारा प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सहकारी समिति मर्या., अमानगंज, तहसील गुनौर, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./406, दिनांक 12 अक्टूबर, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

अत: संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, दीप्ति वनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-6-79-(1)-पन्द्रह-बी, दिनांक 27 अगस्त, 1979 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सहकारी समिति मर्या., अमानगंज, तहसील गुनौर, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654)

पन्ना, दिनांक 10 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/403.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1424, दिनांक 10 अगस्त, 2011 के द्वारा प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सहकारी समिति मर्या., अजयगढ़, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./409, दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

अत: संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, दीप्ति वनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-6-79-(1)-पन्द्रह-बी, दिनांक 27 अगस्त, 1979 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सहकारी समिति मर्या., अजयगढ़, तहसील अजयगढ़, का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-A)

पन्ना, दिनांक 10 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/404.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/937, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 के द्वारा आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., सुनहरा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./391, दिनांक 09 मार्च, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. नायक श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

अत: संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, दीप्ति वनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-6-79-(1)-पन्द्रह-बी, दिनांक 27 अगस्त, 1979 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., सुनहरा, तहसील पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-B)

पन्ना, दिनांक 10 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/405.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1352, दिनांक 04 अगस्त, 2011 के द्वारा ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सब्दुआ, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./557, दिनांक 14 अगस्त, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजीव तिवारी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

अत: संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, दीप्ति वनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-6-79-(1)-पन्द्रह-बी, दिनांक 27 अगस्त, 1979 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सब्दुआ, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-C)

पन्ना, दिनांक 10 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/406.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/623, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 के द्वारा ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., श्यामाडाडा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./431, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

अत: संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, दीप्ति वनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-6-79-(1)-पन्द्रह-बी, दिनांक 27 अगस्त, 1979 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., श्यामाडाडा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-D)

पन्ना, दिनांक 10 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/407.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1284, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के द्वारा एकता पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., महिलवारा, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./448, दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

अतः संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति वनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-6-79-(1)-पन्द्रह-बी, दिनांक 27 अगस्त, 1979 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए एकता पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., महिलवारा, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(654-E)

पन्ना, दिनांक 10 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/408.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/630, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मौकछ, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./500, दिनांक 02 जनवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजीव तिवारी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

अतः संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, दीप्ति वनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-6-79-(1)-पन्द्रह-बी, दिनांक 27 अगस्त, 1979 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मौकछ, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

दीप्ति वनवासी,
सहायक पंजीयक.

(654-F)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला, जिला मण्डला

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, मण्डला के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां, जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गईं तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	नाम सहकारी संस्थाएं	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मूडाडीह	800	परि./2013/65/31-07-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, खैरी	797	परि./2013/65/31-07-2013

1	2	3	4
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पीपरपानी	788	परि./2013/65/31-07-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, खारी	787	परि./2013/65/31-07-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, उमरिया	786	परि./2013/65/31-07-2013
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, ग्वारा	845	परि./2013/65/31-07-2013
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, ढेंको	844	परि./2013/65/31-07-2013
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बकछेरा गोंदी	796	परि./2013/65/31-07-2013
9.	शहीद उदयचंद प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, मण्डला	517	परि./2013/65/31-07-2013
10.	प्राथमिक घरेलू ईंधन सहकारी समिति, मण्डला	578	परि./2013/65/31-07-2013
11.	नर्मदा प्रिंटर्स एवं स्टेशनर्स, मण्डला	762	830/27-09-2013

अत: मैं, एल. के. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय विकासखण्ड अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

एल. के. डेहरिया,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(659)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर, जिला मण्डला

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, मण्डला के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां, जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गईं तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	नाम सहकारी संस्थाएं	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवारी	853	665/31-07-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सर्री	843	666/31-07-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुगदरा	842	667/31-07-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जहरमउ	840	668/31-07-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिचुआ	839	669/31-07-2013
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देल्हा	808	670/31-07-2013

1	2	3	4
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अलीपुर	807	671/31-07-2013
8.	भूमिकृत बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., पाठासिहौरा	856	672/31-07-2013
9.	नर्मदा महिला मण्डल औद्योगिक समिति, नैनपुर	706	673/31-07-2013
10.	महिला रेशम उत्पादक सह. समिति मर्या., पोंडी	715	674/31-07-2013
11.	महिला रेशम उत्पादक सह. समिति मर्या., भडिया	719	676/31-07-2013
12.	रेशम कृषि उत्पादक सह. समिति मर्या., धनपुरी	725	675/31-07-2013
13.	प्राथमिक घरेलू ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., नैनपुर	682	677/31-07-2013
14.	आदि. सूर्योदय यातायात सहकारी समिति मर्या., नैनपुर	581	1219/29-12-2006

अतः मैं, बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय विकासखण्ड अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

बी. डी. कोरी,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(660)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज, जिला मण्डला

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, मण्डला के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां, जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गईं तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	नाम सहकारी संस्थाएं	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बबलिया	801	652/31-07-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तरवानी	799	653/31-07-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरबटी	804	831/21-09-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुकासकला	803	832/27-09-2013
5.	अदि. नवनंदन सहकारी समिति मर्या., भालीवाडा	828	829/27-09-2013
6.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शंकरगंज	314	654/31-07-2013
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बिसौरा	826	6655/31-07-2013

अत: मैं, आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय विकासखण्ड अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज, में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

आर. सी. अहिरवार,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(661)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी, जिला मण्डला

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, मण्डला के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां, जिनके पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गईं तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	नाम सहकारी संस्थाएं	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आदिवासी नंदेश्वर घाट मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,चौरई.	667	677 ए/31-07-2013
2.	हिराघाट आदिवासी जलाशय मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,पौड़ी.	643	677 बी/31-07-2013

अत: मैं, नितिन मेहरा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय विकासखण्ड अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के सम्बन्ध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

नितिन मेहरा,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी (अतिरिक्त).

(662)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 28 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/659.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी

संस्थाएं, जिला रतलाम द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रतलाम गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम	307/19-12-1983	383/01-05-2014
2.	श्रमजीवी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम	260/25-01-1988	384/01-05-2014
3	शिवाजी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम	320/12-04-1983	371/01-05-2014

अत: मैं, बी. जी. व्यास, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उक्त समितियों के सदस्यों, भूतपूर्व पदाधिकारियों, पूर्व कर्मचारियों अथवा पूर्व परिसमापकों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

बी. जी. व्यास,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक.

(663)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013-14/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम का संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लोअरसिंध गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	41/10-02-1964	2467/26-10-2013	2467/26-10-2013
2.	अर्पण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1422/27-04-1996	2467/26-10-2013	2467/26-10-2013

अत: मैं, पी. के. बड़ोनिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/ सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें,

अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

पी. के. बड़ोनिया,

(664) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2013-14/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भारतीय साख सहकारिता मर्यादित उज्जैन, जिला उज्जैन.	26/11-07-2002	623/22-04-2009	623/22-04-2009
2.	जय संतोषी माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., अमला, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	29/13-03-2003	623/22-04-2009	623/22-04-2009

अत: मैं, जी. डी. डोडिया, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

जी. डी. डोडिया,

(665) परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी ग्यारसपुर, जिला विदिशा

ग्यारसपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2014/क्यू.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अभिनव ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., ग्यारसपुर, जिला विदिशा	675/05-03-2004	क्र./परि./2012/1386/24-09-2012
2.	ईंट भट्टा सहकारी संस्था मर्या., मोहना खेजडा, जिला विदिशा	419/05-02-1992	क्र./परि./2012/1386/24-09-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये सम्बन्धित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में समस्त सम्बद्ध लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. सोनी,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(668)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 31 मार्च, 2014

क्र./परि./2014/239.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कालियाछोटी, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक/932, दिनांक 28 मार्च, 1977 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/313, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बबलू सातनकर,
उप-पंजीयक.

(669)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 21 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/1602.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2830, दिनांक 28 नवम्बर, 2013 के द्वारा अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खातेगांव, तहसील खातेगांव, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती मंजूलता अग्रवाल को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता, विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

(670)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिसोरा, पंजी. क्र. 826, दिनांक 28 सितम्बर, 2010, विकासखण्ड निवास को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2013/6655, दिनांक 31 जुलाई, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर.सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिसोरा, पंजी. क्र. 826, दिनांक 28 सितम्बर, 2010, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2013/6655, दिनांक 31 जुलाई, 2013 को निरस्त करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक संस्था में अस्थाई कार्यवाहक कमेटी श्री विनय मिश्रा (अध्यक्ष) श्रीमति रमा मिश्रा (उपाध्यक्ष) एवं सर्वश्री संचालक श्री श्याम लाल, श्री मनीराम, श्री भोला प्रसाद, श्री शंकर लाल को नियुक्त करता हूँ. संस्था पुनर्जीवन की तिथि से छ: माह में नवीन निर्वाचन सम्पादित कराये.

यह आदेश आज दिनांक 15 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(671)

आदिवासी नवनंदन मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, भालीवाड, पंजी. क्र. 670, दिनांक 27 अगस्त, 1994, विकासखण्ड नारायणगंज को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2013/829, दिनांक 27 सितम्बर, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर.सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी नवनंदन मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, भालीवाड, पंजी. क्र. 670, दिनांक 27 अगस्त, 1994, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2013/829, दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को निरस्त करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक संस्था में अस्थाई कार्यवाहक कमेटी श्री सरजू प्रसाद (अध्यक्ष) श्रीमति रमा बाई (उपाध्यक्ष) एवं सर्वश्री संचालक श्री बाबु लाल, श्री शरद कुमार, श्री प्यारे लाल, श्री सेव लाल को नियुक्त करता हूँ. संस्था पुनर्जीवन की तिथि से छ: माह में नवीन निर्वाचन सम्पादित कराये.

यह आदेश आज दिनांक 15 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. सी. अग्रवाल,
सहायक रजिस्ट्रार.

(671-A)

कार्यालय परिसमापक, चन्द्रकांता कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., देवास

देवास, दिनांक 07 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

चन्द्रकांता कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., हाटपिपल्या, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1225, दिनांक 08 मार्च, 2010 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक/1265, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र.-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. ठाकुर
व. स. नि.

(672)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक,सहकारी संस्थाऐं, जिला सीहोर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सीाहोर के आदेश क्रमांक/परि./533, दिनांक 26 मई, 2014 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खेतिहर मजदूर कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., सीहोर	1076/30-11-1985	533/26-05-2014
2.	उमा श्री मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सीहोर	1168/10-05-2001	533/26-05-2014
3.	सवा लोहा काष्ठकलां उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सीहोर	1129/11-03-1999	533/26-05-2014

अत: मैं, बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य अन्य पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

बी. के. तिवारी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(673)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त 2014-श्रावण 31, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 23 अप्रैल, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छदित रहा है तथा राज्य के कुछ ही जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक—तहसील भितरवार, घाटीगाँव (ग्वालियर), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), महिदपुर, तराना, घटिया, बड़नगर (उज्जैन), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर (राजगढ़), कुरवाई, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया, हुजूर (भोपाल), रायसेन, गैरतगंज, उदयपुरा (रायसेन), सीहोरा, जबलपुर, मझोली (जबलपुर), कटनी (कटनी), घुघरी (मण्डला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, बिछुआ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक—तहसील ग्वालियर, डबरा (ग्वालियर), नरसिंहगढ़ (राजगढ़), बासौदा, नटेरन (विदिशा), मुलताई (बैतूल), नैनपुर (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक—लटेरी (विदिशा), डिण्डोरी (डिण्डोरी) हर्रई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक—तहसील जामई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला खरगौन, बैतूल में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला दतिया, दमोह व कटनी में फसल गेहूँ व सिंगरौली में गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों तुअर व डिण्डोरी में अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर व अनूपपुर, इन्दौर, विदिशा, जबलपुर में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23 अप्रैल, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	21.4		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली,	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	21.0		तिली अधिक. उड़द कम.	. .	
3. भितरवार	14.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	12.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
6. नई सराय	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौंडी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, अरहर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना, गेहूँ, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		कम. अरहर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		(2) ..		
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7.रायपुरकर्चुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों,	6. ..	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		तिवड़ा कम.		
3. जैसिंहनगर	..		(2) ..		
4. जैतपुर	..				
5. गोहपारू	..				
6. बुढार	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	3.8		4. (1) चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	5.0				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	0.3		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	7.0		राई-सरसों, तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..		(2) ..		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली	मिलीमीटर	2. गेहूँ जौ, चना, राई-सरसों तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक. जौ कम. राई-सरसों, अलसी, मटर, चना, आलू समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. रायडा समान.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. शामगढ़	. .				
6. मन्दसौर	. .				
7. धुन्धड़का	. .				
8. सीतामऊ	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	9.0		(2) . .		
3. तराना	3.0				
4. घटिया	8.0				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	2.0				
7. नागदा	. .				
***जिला आगर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ोद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		गेहूँ, मसूर, जौ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) . .		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोबट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .				
4. कट्टीवाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		राई-सरसों समान.		
4. खरगौन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	17.0		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	3.0		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	1.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	11.6				
5. सारंगपुर	1.4				
6. पचौर	. .				
7. नरसिंहगढ़	21.0				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	52.2	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, लाख	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	12.7				
4. बासौदा	19.2				
5. नटेरन	31.0				
6. विदिशा	13.4				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	5.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	5.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	1.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	8.2		4. (1) जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी अधिक. गेहूँ, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	6.0		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
7. उदयपुरा	5.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	25.0.				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	2.0		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	1.9				
4. मझौली	11.0				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	5.0		4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ, राई-सरसों, मटर, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .				
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .		(2) . .		
5. तेन्दूखेड़ा	. . .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	24.2				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	3.6				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	46.6		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	9.4		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, बटरा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	13.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	8.0				
4. जामई (तामिया)	65.0				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	6.3				
10. हर्रई	80.4				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, रामतिल, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. बाजरा, ज्वार, कोदों-कुटकी, उड़द, सोयाबीन, तिल, सन, लाख, तिवड़ा कम. मूँग, मूँगफली, मसूर अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .				
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .		(2) . .		
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, गुना, सतना, आगर, बड़वानी, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(679)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.